

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 29.12.2022

संख्या-1/पी0-102/2016 का०- 8278 / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अविनाश कुमार, भा.प्र.से. (झा:1993) (अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची तथा प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची) को दिनांक-01.01.2023 अथवा पदभार ग्रहण, जो बाद में हो, की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्थिर वेतनमान (Level-17) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची तथा प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची) के रूप में बने रहेंगे।

संख्या-1/पी0-102/2016 का०- 8279 / अतिरिक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. (झा:1993) को दिनांक-01.01.2023 अथवा पदभार ग्रहण, जो बाद में हो, की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्थिर वेतनमान (Level-17) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-102/2016 का० - 8279 / राँची, दिनांक 29.12.2022

प्रतिलिपि-ट्रेंडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री अविनाश कुमार, भा.प्र.से. (झा:1993) द्वारा धारित किये जाने की तिथि से अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के गैर संवर्गीय पद को कर्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. वेतन नियमावली-2007 के नियम-9(7) के शिड्युल-III (A) के अन्तर्गत स्थिर वेतनमान में संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

सरकार के अवर सचिव।